



भारत का बढ़ता कर आधार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक के मूल्यांकन वर्षों के दौरान आयकर रटिर्न के आंकड़ों की हालिया रिलीज़, बदलते कर अनुपालन पैटर्न में अंतरदृष्टि प्रदान करती है।

- इस डेटा से करदाताओं की प्रोफाइल में परिवर्तन का पता चलता है, जिसमें विशेष रूप से उच्च-आय वर्ग इस परिवर्तन का केंद्र है। यह सभी पात्र करदाताओं को अपना रटिर्न दाखल करना सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

आयकर रटिर्न:

- आयकर:
 - आयकर एक वित्तीय वर्ष में अर्जति किसी व्यक्ति या व्यवसाय की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है।
 - भारत में आयकर प्रणाली **आयकर अधिनियम, 1961** द्वारा शासित होती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- आयकर रटिर्न:
 - यह एक नरिदष्टि दस्तावेज़ है जिसका उपयोग किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कमाई और उस आय पर भुगतान किये गए करों के विषय में आयकर विभाग को विवरण देने के लिये किया जाता है।
 - यह फॉर्म नुकसान को आगे बढ़ाने की सुविधा भी देता है और व्यक्तियों को आयकर विभाग से रफिंड का दावा करने में सक्षम बनाता है।

हाल के आयकर रटिर्न आँकड़ों से प्रमुख नषिकर्ष:

- समग्र कर फाइलिंग:
 - मूल्यांकन वर्ष (AY) 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) में कुल 6.75 करोड़ करदाताओं ने आयकर रटिर्न जमा किया, जो पिछले वर्ष की 6.39 करोड़ फाइलिंग से 5.6% की वृद्धि को दर्शाता है।
 - हालाँकि देशभर में लगभग 2.1 करोड़ करदाताओं ने कर का भुगतान किया लेकिन रटिर्न दाखल नहीं किया।
- करदाता आधार का विकास:
 - हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है: यह संख्या मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में 5.87 करोड़ थी जो मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6.75 करोड़ हो गई।
 - हालाँकि शून्य कर का भुगतान करने वाले करदाताओं का प्रतिशत भी मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में 40.3% से बढ़कर मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 66% हो गया है।
- आय प्रवृत्ति:
 - विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत करदाताओं के उच्च आय वर्ग की ओर संक्रमण पर प्रकाश डाला है।
 - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) के अनुसार, शीर्ष 1% कमाने वालों की आय का अनुपातिक योगदान कम हो गया, जबकि पिछले वर्ग के 25% देनदारों की हसिसेदारी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है।
- आलोचना:
 - आलोचक भारत में अत्यधिक-अमीर और मध्यम वर्ग के बीच बढ़ते धन के अंतर को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि शीर्ष 1% आय अर्जति करने वालों की आय की कुल हसिसेदारी वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक 17% से बढ़कर 23% हो गई है।
 - इस बीच नचिले 25% लोगों की आय वृद्धि कम हो गई, जिससे मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करने पर उनकी वास्तविक आय में गिरावट आई है।
 - आय का यह अंतर आर्थिक नषिपक्षता और स्थायी वित्तीय प्रगति प्राप्त करने में मध्यम वर्ग के संघर्ष के बारे में चर्चा उत्पन्न करता है।

नोट: मूल्यांकन वर्ष वह अवधि है जिसके दौरान किसी वषिष वित्तीय वर्ष में अर्जति आय का कर उद्देश्यों के लिये मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। यह उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद का वर्ष है जिसके लिये आय का आकलन किया जा रहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड:

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड** केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है।
 - यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत है।
- यह भारत में प्रत्यक्ष कर नीतियों और रणनीतियों को आयाम देने के लिये महत्त्वपूर्ण अंतरदृष्टि प्रदान करके दोहरी भूमिका निभाता है, साथ ही आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर नियमों के कार्यान्वयन एवं नष्पादन की निगरानी भी करता है।
 - इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसमें छह सदस्य होते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत में काले धन के सृजन के नमिनलखिति प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चतिता का मुख्य कारण है? (2021)

- स्थावर संपदा के क्रय और वलिसतियुक्त आवास में नविश के लिये संसाधनों का अपयोजन।
- अनुत्पादक गतविधियों में नविश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादिका क्रय।
- राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास।
- कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि।

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-widening-tax-base>

